(51)

राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्र... क्रमांक विविध /पीबीआर/17 विविध-9049-PBR/17

1— रामनारायण पुत्र किशन
2— कान्ता प्रसाद पुत्र किशन
3— प्रदीप उर्फ भूरा पुत्र रामनारायण
जाति कुलमी पाटीदार
निवासीगण ग्राम कालापीपल
जिला शाजापुर ————————आवेदकगण

बनाम

रामचन्द्र लेवे पुत्र भंवरलाल
जाति कुलमी पाटीदार
निवासी ग्राम खरदोन कलां
कृषक ग्राम राधाखेडी
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर ————————अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 सहपठित धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता— वास्ते संशोध्न आदेश दिनांक 7—12—16 ।

श्रीमान,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

1/ यहकि, श्रीमान विचाराधीन प्रकरण कमांक 3945—पीबीआर/16 में दिनांक 7—12—16 को ग्राह्यता पर तर्क श्रवण उपरांत श्रीमान तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25—10—16 एवं 7—11—16 के अवलोकन कर पाया कि प्रार्थीगण को अंतरिम बहस का अवसर समाप्त किया गया है । अतः तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ आदेशित किया कि प्रार्थीगण को अंतरिम बहस करने का एक अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण करें ।

2/ यहकि, श्रीमान न्यायालय द्वारा भूलवश अंतरिम के स्थान पर अंतिम बहस करने का एक और अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण करने का आदेश में उल्लेख होने के कारण भूल सुधार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र मान्य कर पारित आदेश दिनांक 7—12—16 में संशोधन आदेश प्रदान करने की कृपा की जाये ।

प्रार्थीगण

दिनांक 8—12—17

रामनारायण आदि
द्वारा अधिवक्ता—ओ.पी. शर्मा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9049–पीबीआर / 17 **जिला** शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7–12–2016 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में अन्तिम बहस से आशय तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25–10–16 में जिस स्टेज कि बहस का अवसर समाप्त किया गया था, उससे है । उक्त स्पष्टीकरण के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	